

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 (बिन्दु संख्या 83) के अन्तर्गत
दायर अपील संख्या 04/2015-16

मैसर्स अंकल इन्टरप्राइजैज, कोटा

बनाम

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, कोटा

निर्णय

दिनांक :- 08.10.2015

मैसर्स अंकल इन्टरप्राइजैज, कोटा ने पत्र दिनांक 09.09.2015 से, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, कोटा की सक्षमता के अधीन अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत, झालावाड द्वारा आमन्त्रित निविदा सूचना संख्या 03 वर्ष 2015-16 के निम्न कार्यों की निविदा में भाग लिया गया।

1. Tender for the work of construction of Dhanwas Anicut on River Rewa near village Dhanwas PS Jhalrapaten.

कार्य की तकनीकी बिड मे तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा मैसर्स अंकल इन्टरप्राइजैज, कोटा को अयोग्य घोषित किये जाने के निर्णय के विरुद्ध संवेदक द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत अपील प्राधिकारी शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर के समक्ष अपील दायर की एवं नियमानुसार फीस राशि रूपये 2500/- फीस(डी.डी.स. 003066) जमा करवाई गई।

1. अपीलार्थी द्वारा अपील दायर कर निम्नानुसार प्रार्थना की है :-

प्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य " Tender for the work of construction of Dhanwas Anicut on River Rewa near village Dhanwas PS Jhalrapaten " की निविदा भरी है जिसमें श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत, झालावाड ने पत्र क्रमांक 4091 दिनांक 21.08.2015 द्वारा प्रार्थी को समान कार्य का अनुभव का हवाला देते हुये अयोग्य घोषित कर दिया है जबकि तकनीकी बिड में एनिकट निर्माण में चाही गयी सभी क्वांटिटी का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है उसमें वो सभी कार्य समान प्रकृति के कार्य है। उक्त कार्य भी चाहे गये कार्य के समान प्रकृति का कार्य है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अपील स्वीकार कर न्याय प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

उक्त के संबंध में मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग कोटा ने अवगत कराया है कि उक्त निविदा की तकनीकी बिड मूल्यांकन समिति ने अपनी बैठक दिनांक 27.08.2015 में निविदा में शामिल मैसर्स अंकल इन्टरप्राइजैज, कोटा की तकनीकी योग्यता के सम्बन्ध में तकनीकी बिड डाक्यूमेन्ट के क्लॉज-3.2 (बी) के अनुसार निर्णय लिया, जिसमें मैसर्स अंकल इन्टरप्राइजैज, कोटा को समान प्रकृति एवं जटिलता के कार्यानुभव प्रमाण पत्र के अभाव में अयोग्य घोषित किया गया।

उक्त फर्म द्वारा Construction of auction area (50% main mandi yard KUMS Itawa under vide agg. No. 02/2013-14 amounting to Rs. 163.23 lac completed on 30.04.2014) का कार्यानुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्नानुसार मात्राएँ सम्पादित की गई :-

1. Earth work	4205.62 Cum
2. Plain/RCC work	2798.25 Cum

जबकि तकनीकी बिड के क्लॉज 3.2 (B) के अनुसार निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये गये थे :-

The applicant shall have successful experience as prime contractor in completing at least one contract of a nature and complexity comparable to the proposed contract within the last five

financial years of value not less than (35% of G-Schedule amount) i.e. Rs. 120.00 lacs this completed contract shall include the quantities of following items mentioned below:-

1. E/W in excavation/Embankment	2900.00 Cum
2. Plain/Reinforcement CC	2344.00 Cum

संवेदक को तकनीकी बिड के क्लॉज 3.2 (बी) के अनुसार "Contract of a nature and complexity comparable to the proposed contract" का कार्यानुभव नही होने के कारण अयोग्य घोषित किया गया।

मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग कोटा द्वारा अपील अधिकारी के समक्ष यह सूचित किया कि, तकनीकी योग्यता मापदण्डों के क्लॉज-3.2 (बी) के नीचे अकिंत नोट में समान प्रकृति के कार्यों को स्पष्ट किया गया है जो निम्न प्रकार है :-

"In case of earth work excavation for embankment the work will be treated of similar nature both for dams and canals if both the embankments are being formed in the same way i.e. by watering and consolidation. Plain concrete for works such concreting in foundation, DPC, mass plain concreting work done for VRB's Syphons, C.D. works, the works of similar nature will include RCC columns, RCC slabs, Spillway, RCC beams and cantilivers, RCC trough for canals and other structures where reinforced steel has been used. Similarly waste weir building works etc. Where masonry work has been done will be treated of the similar nature."

संवेदक द्वारा तकनीकी बिड में उनके द्वारा मण्डी निर्माण कार्य में किये गये कार्य का कार्यानुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जो कि समान प्रकृति के कार्यों की श्रेणी में नही आता है। इस कारण संवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र स्वीकार योग्य नही है।

2. अपील के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये अभिलेख/साक्ष्यों के परिक्षण उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मैसर्स अंकल इन्टरप्राइजैज, कोटा द्वारा तकनीकी बिड के साथ संलग्न कार्यानुभव प्रमाण पत्र क्लॉज-3.2 (बी) के अनुरूप "Contract of a nature and complexity comparable to the proposed contract" नही होने के कारण मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, कोटा द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। जो सही है।

अतः अपीलार्थी मैसर्स अंकल इन्टरप्राइजैज, कोटा द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील निरस्त की जाती है।

(अजिताभ शर्मा)
प्रथम अपील अधिकारी
शासन सचिव
जल संसाधन विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांक F.2(101)ASI/15 / 4316 - 4319

दिनांक :- 29/10/2015

निर्णय की प्रति निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-

1. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, कोटा।
3. मैसर्स अंकल इन्टरप्राइजैज, कोटा, मकान नम्बर-146, न्यू गोपाल विहार, पुलिस लाईन कोटा।
4. अधीक्षण अभियन्ता PMU जल संसाधन जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्णय तत्काल राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित करवाया जावे।

AD(15)
A
5-11-15

(अजिताभ शर्मा)
प्रथम अपील अधिकारी
शासन सचिव
जल संसाधन विभाग
राजस्थान जयपुर